

वित्तीय वर्ष 2025–26 की ए0आई0पी0 अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में जनपद की समस्त 574 ग्राम पंचायतों के 919 राजस्व ग्रामों को ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम विकसित किये जाने हेतु चयनित किया गया है। उक्त चयनित ग्रामों में 5000 से अधिक एवं 5000 से कम जनसंख्या के आधार पर अनुमन्य धनराशि के अनुसार ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना तैयार की गयी। कार्ययोजना के सापेक्ष एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र, खाद गड्ढे, प्लास्टिक बैंक इत्यादि इकाईयों का निर्माण कार्य कराया गया है। एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र के नियमित व विधिवत् रूप से संचालन हेतु सामुदायिक शौचालय में कार्यरत स्वयं सहायता समूह से कार्य लिया जा रहा है। एकत्रित अजैविक कचरा यथा—प्लास्टिक व कांच की बोतल, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि अपशिष्टों को मार्केट लिंकेज तथा एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्टों को प्लास्टिक वेस्ट प्रबन्धन केन्द्र के माध्यम से निस्तारित कराया जा रहा है। प्रबन्धन प्रक्रिया अन्तर्गत विक्रय से प्राप्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ओ0एस0आर0 में जमा कराया जा रहा है, उक्त अर्जित धनराशि का प्रयोग इकाईयों के दीर्घकालिक संचालन, रख-रखाव एवं आवश्यकतानुसार श्रमांश पर व्यय किया जायेगा।

ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें कार्ययोजना के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत अनुमन्य धनराशि के साथ-साथ राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग में धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप कार्यों को कराया गया है, किन्तु ग्राम पंचायतों में समुदायों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इकाईयों की संख्या में वृद्धि किया जा सकता है, जिस हेतु पृथक से धनराशि की आवश्यकता होगी।